Reg. No. 694/2009-10 Impact Factor : 7.125 ISSN : 2250-1193

Anukriti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 14, No. 12.1 Year-14 December, 2024

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief

Prof. Vidya Shanker Singh

Retired

Dept. of Hindi, Motilal Nehru College (Eve.),

University of Delhi, New Delhi

Editor

Dr. Ramsudhar Singh

Ex Head, Department of Hindi

Udai Pratap Autonomous College

Varanasi

Published by

SRIJAN SAMITI PUBLICATION

VARANASI (U.P.), INDIA

Mob. 9415388337, E-mail : anukriti193@rediffmail.com, Websitc : anukritijournals.com

Reg. No. 694/2009-10
Anukriti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 14, No. 12.1, December 2024
Impact Factor : 7.125
ISSN : 2250-1193

अनुक्रमणिका

1.	दृष्टिहीन तथा मूकबधिर विद्यार्थियों की बुद्धिक्षमता का तुलनात्मक अध्ययन **डॉ० योगेश चन्द्र पाठक**	1-2
2.	माध्यमिक स्तर के ग्रामीण छात्रों की परम्परागत शिक्षण एवं अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा विज्ञान विषय में प्रभावकारिता का तुलनात्मक अध्ययन **डॉ० हरिकेश सिंह**	3-4
3.	विज्ञान और तकनीकी विकास में लैंगिक असमानता : कारण, प्रभाव और समाधान **डॉ0 शैलेन्द्र कुमार साहू एवं डॉ0 पूजा बंजारे**	5-12
4.	रहस्यवाद–विमर्श **डॉ0 मीना**	13-16
5.	हिंदी भक्ति काव्य में महिला व्यक्तित्व और मीराबाई की विशिष्ट भूमिका **डॉ0 यशवन्त यादव**	17-21
6.	Urban Ecology and Behavioral Adaptations in Indian Primates **Dr. Girijesh Shukla**	22-26
7.	मनोशारीरिकसंस्कारसन्दर्भे गीतानुसारि–अष्टाङ्गतत्त्वसमीक्षणम् **अनीसकुमारशुक्ल:**	27-32
8.	छात्रों में सोशल मीडिया के प्रभाव से आये परिवर्तन **डॉ0 कमरुद्दीन एवं कल्पना वर्मा**	33-38
9.	रवीन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व **अयोध्या प्रसाद मिश्र**	39-40
10.	भारत में गहराता जल संकट : चुनौतियाँ एवं समाधान **डॉ0 पूनम गुप्ता**	41-47
11.	वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव **डॉ0 बृजेश कुमार श्रीवास्तव**	48-50
12.	Epistemic Tensions between Inquiry and Belief **Rishikesh Chauhan**	51-56
13.	Judicial Approach on Rights of Children in Shelter Homes **Nikhil Kumar**	57-60
14.	73वाँ संवैधानिक संशोधन : पंचायती राज व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्त्तन **चन्दन कुमार यादव एवं डॉ0 संजय शर्मा**	61-65
15.	वाराणसी नगर के सन्दर्भ में मलिन बस्ती वासियों की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का भौगोलिक अध्ययन **डॉ0 राम बचन मौर्य**	66-68

Reg. No. 694/2009-10
Anukriti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 14, No. 12.1, December 2024
Impact Factor : 7.125
ISSN : 2250-1193

73वाँ संवैधानिक संशोधन : पंचायती राज व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्त्तन

चन्दन कुमार यादव
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, सहकारी पी0जी0 कॉलेज, मेहरावाँ, जौनपुर, उ0प्र0
डॉ0 संजय शर्मा
शोध निर्देशक
राजनीति विज्ञान विभाग, सहकारी पी0जी0 कॉलेज, मेहरावाँ, जौनपुर, उ0प्र0

73वाँ संवैधानिक संशोधन समितियों द्वारा प्रस्तावित अधिकार संशोधन से पंचायती राज में वांछित विकास बाधित रहा। इस क्रम में एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हुआ जिसे 73वें संशोधन के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन लिए कांग्रेस पार्टी को जूझना पड़ा। अंततः प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें और 74वें संशोधनों के द्वारा पहली बार पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के साँचे–ढाँचे में कुछ मौलिक परिवर्त्तन किये गये तथा स्थानीय संस्थाओं के रूप में बदलाव आया। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज .....

(1) संरचना– संशोधन सभी राज्यों को यह बाध्य करता है कि वे अपने यहाँ पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की स्थापना करें। ऐसा राज्य ग्राम मध्य और जनपद स्तर व्यवसथा की जाये। (अनुच्छेद 243ए) जहाँ जनपद और ग्राम स्तर सुस्पष्ट हैं। मध्य स्तर की परिभाषा इस प्रकार की गयी है– ग्राम और जनपद के मध्य स्तर जो कि राज्य के राज्यपाल द्वारा जन सूचना के मध्य इंगित किया गया है।[1] (अनु0 243)

इस प्रकार मध्य स्तर खण्ड हो सकता है अथवा जनपद तथा ग्राम के बीच कोई भी अन्य स्तर संविधान संशोधन उन राज्यों के लिए अपवाद करता कि जिनकी जनसंख्या 20 लाख के ऊपर नहीं है। ऐसे राज्य द्विस्तरीय व्यवस्था अपना सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मध्य स्तर छोड़ना होगा। ग्राम और जनपद स्तर की इकाई में कोई परिवत्तन नहीं होगा।

(2) नामकरण– जहाँ संशोधन अधिनियम पंचायत शब्द का प्रयोग करता है वह विभिन्न स्तरों की पंचायत के नामों के बारे में बहुत कठोर नहीं है केवल अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा नाम का प्रयोग हुआ है, यह परिभाषित करने के लिए कि[2] "यह ऐसे व्यक्तियों की संख्या है, जो उस पंचायत क्षेत्र के अन्दर आने वाले गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत हो।" वैसे इसकी कार्यकारिणी को कोई भी नाम दिया जा सकता है। कुछ राज्यों में इसे ग्राम पंचायत कहा गया है। कुछ इसे अंग्रेजी नाम 'विलेज पंचायत' अपनाया गया है। इसी प्रकार मध्य स्तरीय पंचायत को भी अलग–अलग नाम दिये गये हैं, जैसें मण्डल परिषद (आन्ध्र प्रदेश), आंचलिक पंचायत (असम), पंचायत समिति (बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल), ताल्लुक पंचायत (गुजरात तथा कर्नाटक), ब्लाक पंचायत (केरल), जनपद (मध्य प्रदेश), पंचायत यूनियन काउंसिल (तमिलनाडु) तथा क्षेत्र पंचायत (उत्तर प्रदेश) अन्त में जनपद स्तर की पंचायतों को आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल में जिला परिषद, गुजरात, केरल तथा तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट पंचायत तथा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत कहा गया है।

गठन– 73वें संशोधन के अनुसार पंचायतों में दो प्रकार के सदस्य होंगे:[3] निर्वाचित पदेन। पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी अन्य सदस्य "पंचायत क्षेत्र के चुनाव क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में इस प्रकार बाँट दिया जायेगा ताकि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जनसंख्या तथा स्थानों की संख्या के मध्य अनुपात, जहाँ तक संभव हो, पूरे पंचायत क्षेत्र में एक समान हो।'

पदेन सदस्यों के बारे में 73वें संशोधन में यह व्यवस्था है कि राज्य विधान मण्डल विधि के द्वारा निम्न के प्रतिनिधित्त्व की व्यवस्था कर सकता है–

(i) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्य स्तरीय पंचायतों में (अनु0 243 की धारा (2)ए।
(ii) मध्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जनपद स्तरीय पंचायतों में (अनु0 243 की धारा (3) बी।
(iii) लोक सभा एवम् विधान सभा के सदस्य केवल ग्राम पंचायतों को छोड़कर उन पंचायतों में, जो कि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से उनके चुनाव क्षेत्र में आती हो (अनु0 243 सी की धारा (3) सी।
(iv) राज्य सभा एवं विधान परिषद के सदस्य तथा जनपद स्तर की उन पंचायतों में, जिनके क्षेत्रों में वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। अनु0 243 सी की धारा (3) डी।

उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि ग्राम स्तरीय पंचायतों में पदेन सदस्य नहीं होंगे। मध्य स्तरीय पंचायतों में उनके क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होंगे तथा संसद तथा राज्य विधान–मण्डल के निम्न सदनों के वे सदस्य, जिनके चुनाव क्षेत्रों में उस पंचायत क्षेत्र का पूर्ण अथवा आंशिक भाग आता हो तथा संसद तथा राज्य विधान मण्डल के उच्च सदनों के ऐसे सदस्य, जो उस पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। इसी प्रकार जनपद स्तर पर पंचायतों में मध्य स्तरीय पंचायतों के अध्यक्ष (अथवा द्विस्तरीय व्यवस्था में ग्राम स्तरीय पंचायतों के अध्यक्ष तथा संसद तथा राज्य विधान मण्डल के निम्न सदनों के ऐसे सदस्य, जिनके चुनाव क्षेत्र पूर्ण अथवा आंशिक रूप से उस जनपद के पंचायत क्षेत्र में आते हों तथा साथ ही संसद तथा राज्य विधान–मण्डल के उच्च सदनों के ऐसे सदस्य कि उस जनपद पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों।

स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था 73वां संशोधन स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है (अनु0 243)। इस प्रकार के आयोग की स्थापना राज्य के राज्यपाल द्वारा की जायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण में चुनाव से सम्बन्धित सभी मामले राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि पारित करके निर्धारित किये जाने की व्यवस्था है।

पीठासीन अधिकारी– 73वाँ संविधान संशोधन तीतनों स्तरों की पंचायतों के अध्यक्षों की व्यवस्था करता है जिनमें से ग्राम स्तरों पर अध्यक्षों का निर्वाचन सीधे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।[4] शेष दो पंचायतों अर्थात् मध्य और जनपद स्तरीय पंचायतों में अध्यक्षों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होगा, वरन् सम्बन्धित पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होगा।[5]

इस प्रकार संशोधन अधिनियम मध्य और जनपद स्तरीय पंचायतों में पीठासीन अधिकारियों के अप्रस्त्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करता है। वह यह भी स्पष्ट करता है कि इन पंचायतों के अध्यक्षों का निर्वाचन केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जायेगा।

आरक्षण– 73वां संशोधन अधिनियम, सभी स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम मध्य तथा जनपद में अुनसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है जहाँ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत में कुल निर्वाचित स्थानों में इन वर्गों के लिए उसी अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे, जो अनुपात उस पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या से उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का है।[6]

इसके अतिरिक्त 73वें संशोधन के अनुच्छेद 243 डी की धारा (6) के अन्तर्गत, राज्य विधान मंडल पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इस मामले में आरक्षण एवं उसकी सीमा संशोधन के समय निर्धारित की गई, क्योंकि जिस समय 73वाँ संशोधन पारित हुआ था, उस समय पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रतिशत पर अभी बहस चल रही थी तथा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था। आरक्षण की कड़ी में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और विस्तृत आरक्षण महिलाओं के पक्ष में किया गया है। 73वाँ संशोधन यह व्यवस्था करता है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि राजीव गाँधी के प्रधानमन्त्रित्व में केवल 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई थी परन्तु 73वें संशोधन में आरक्षण लागू करने की व्यवस्था है: प्रत्येक वर्ग, अर्थात् अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा अनारक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान क्रमशः उसी श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार किसी पंचायत में जितने स्थान अनुसूचित जाति के आरक्षित है, उनमें से एक तिहाई अनुसूचित जाति की महिलाओं के पक्ष में आरक्षित होंगे। अन्य वर्गों के लिए भी यही सिद्धान्त अपनाया गया है।

73वें संशोधन में वर्णित सभी प्रकार के आरक्षण को लागू करने के लिए स्थानों के चक्रानुक्रम (रोटेशन ऑफ शीट) की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था यह रोकने के लिए है ताकि वह चुनाव क्षेत्र बार–बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षित न हो जाये। इस प्रकार उस क्षेत्र में अन्य वर्गों के लोगों को स्थानीय चुनाव में खड़े होने के अवसर ही न मिले। इस प्रकार आरक्षण सिद्धान्त पंचायत क्षेत्र में चुनाव क्षेत्र के चक्रानुक्रम के माध्यम से संचालित होगा।

73वें संशोधन के अनुसार सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के पद भी वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए होंगे, परन्तु आरक्षण विधि सम्बन्धित राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित की जायेगी। तथापि आरक्षण की सीमा वही होगी, जैसा की पंचायतों के सामान्य सदस्यों के लिए है केवल अपवाद इतना होगा कि जहाँ जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना हो, वहाँ पूरे राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखा जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए,

अध्यक्षों के कुल पदों में से अनुपात में उतने पद आरक्षित होंगे, जितने कि पूरे राज्य में इन वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या से है। पिछड़े वर्गों के बारे में, उपर्युक्त वर्णित कारणों से व्यवस्था, सम्बन्धित राज्य विधान मंडलों पर छोड़ दी गई है। अन्त में, महिलाओं के लिए अध्यक्ष पदों में से एक तिहाई आरक्षित होंगे और यह प्रत्येक वर्ग में से उस प्रकार एक तिहाई पद आरक्षित करके किया जायेगा, जैसा कि सीधे निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों के लिए व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष पदों पर आरक्षण के सिद्धान्त को लागू करने में भी चक्रानुक्रम का सिद्धान्त लागू होगा।

कार्यकाल– 73वें संशोधन के अनुसार, सभी स्तरों पर प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसके गठन के पश्चात प्रथम बैठक की तिथि से पाँच वर्ष का होगा।[7] इसी के अन्तिम पाँच वर्ष से अधिक कार्यकाल के विस्तारण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। 73वें संशोधन के पूर्व एक सबसे बड़ी बीमारी पंचायतों का बार–बार अतिक्रमण अथवा विघटन अथवा निर्वाचन देर से कराना रहा है और इस प्रकार पंचायतों को उनके लोकतांत्रिक अथवा प्रतिनिध्यात्मक आधार से वंचित रखा गया। इस पर नियंत्रण रखने के लिए 73वां संशोधन अधिनियम व्यवस्था देता है–

(1) पंचायत के पाँच वर्ष पूरे होने के पूर्व ही नयी पंचायत का गठन हेतु निर्वाचन सम्पन्न हो जाने चाहिए।
(2) यदि पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के पूर्व ही पंचायत का विघटन हो जाता है तो विघटन की तिथि से 6 माह के अन्दर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए ऐसी परिस्थिति में नवनिर्वाचित पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष नहीं होगा वरन् वह पूर्व पंचायत के अवशेष कार्यकाल तक ही कार्य करेगी।

परन्तु अपवाद यह है कि यदि पूर्व पंचायत का अवशेष कार्यकाल 6 माह से कम रखा हो, तब पंचायत अवशेष कार्यकाल के लिए नहीं वरन् पूरे पाँच वर्ष के लिए निर्वाचित होगी।

अधिकार– अब तक पंचायती राज अपने अधिकारों के लिए पूर्णतया सम्बन्धित राज्यों पर निर्भर थी। 73वाँ संशोधन पहली बार ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए विषयों की एक पृथक सूची प्रस्तुत करता है जिसको संविधान में 11वीं अनुसूची के रूप में रखा गया है। इस सन्दर्भ में यह कहा गया है कि "राज्य विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसे अधिकार और सत्ता प्रदान कर सकता है जो कि उसके लिए स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। यह सत्ता निम्न के लिए दी जा सकती है"[8]– (1) आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करना तथा (2) आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाओं को कार्यान्वित करना। जिन क्षेत्रों में पंचायत के अधिकार प्राप्त है उनकी संख्या 29 है[9]–

1) कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि प्रसार सम्मिलित है
2) भूमि सुधार तथा भू संरक्षण
3) लघु सिंचाई, जल व्यवस्थापन तथा जल संभरण विकास
4) पशु पालन, डेरी उद्योग तथा कुक्कुट पालन
5) मत्स्य पालन
6) सामाजिक वानिकी तथा फार्म वानिकी
7) लघु वन उत्पाद
8) लघु उद्योग जिसके अन्तर्गत खाद्य संसाधन उद्योग सम्मिलित हैं
9) खादी, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग
10) ग्रामीण आवास
11) पेयजल
12) ईंधन तथा चारन
13) मार्ग, पुलिया, पुल, नौकाघाट, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन
14) ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत वितरण सम्मिलित है।
15) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत
16) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17) शिक्षा, जिसमें प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा सम्मिलित है।
18) तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक शिक्षा।
19) प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा।
20) पुस्तकालय
21) सांस्कृतिक कार्यकलाप
22) बाजार एवं मेले

23) स्वास्थ्य तथा सफाई, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दवाखाने सम्मिलित है।
24) परिवार कल्याण
25) महिला एवं शिशु विकास
26) सामाजिक कल्याण, जिसके अन्तर्गत अपंग एवं मानसिक रूप से अविकसित का कल्याण सम्मिलित है।
27) दुर्बल वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का कल्याण।
28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29) सामुदायिक असेट्स का अनुरक्षण।

विभिन्न स्तरों की पंचायतों, अर्थात ग्राम, मध्य, तथा जनपद स्तर में उपरोक्त अधिकारों का वितरण, राज्य विधान मंडल पर छोड़ दिया गया है, जोकि अपनी इच्छानुसार किसी विषय अथवा उसके भाग को उचित स्तर की पंचायत को सौंप सकता है।

वित्तीय स्रोत– 73वें संशोधन के पूर्व पंचायती राज संस्थाओं की प्रमुख दुर्बलताओं में से एक यह थी कि उनके पास धन की कमी थी। उनके पास कार्य तो थे, परन्तु उनको करने के लिए धन जुटाने के स्रोत बहुत कम थे, क्योंकि धन के लिए उनको राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता था।

73वाँ संशोधन ग्रामीण स्थानीय इकाइयों के लिए तीन प्रकार के वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था यह कहकर करता है कि राज्य विधान–मंडल, विधि के द्वारा, निम्न व्यवस्था करता है कि राज्य विधान–मण्डल, विधि के द्वारा निम्न व्यवस्था कर सकता है–

(a) पंचायतों को करो, शुल्कों, मार्ग करो तथा फीस आरोपित करने, एकत्र करने तथा विनियोजित करने की सत्ता प्रदान कर सकता है।
(b) राज्य सरकार द्वारा आरोपित तथा एकत्रित करों, शुल्कों, मार्ग करों तथा फीस को पंचायतों को प्रदान कर सकता है; तथा
(c) राज्य के संचित कोष से पंचायतों को सहायक अनुदान देने की व्यवस्था कर सकता है[10]– पंचायती राज संस्थाओं के पक्ष में वित्तीय स्रोतों के निष्पक्ष विवरण तथा राज्य विधान मण्डल अथवा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसी स्वेच्छागत कार्यवाही को रोकने के लिए 73वाँ संशोधन राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था करता है। तद्नुसार[11]– "73वें संशोधन लागू होने के एक वर्ष के अन्दर तथा उसके पश्चात प्रत्येक पाँच वर्ष बाद राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा।

यह राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को यह सुझाव देगा कि निम्न के सम्बन्ध में किन सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाये।

(1) राज्य तथा पंचायतों के मध्य सरकार द्वारा आरोपित करों, शुल्को, मार्ग करो तथा फीस से प्राप्त शुद्ध आय के वितरण की व्यवस्था तथा इस आय की विभिन्न स्तरों की पंचायतों के मध्य वितरण।
(2) उन करो, शुल्कों, मार्ग करो तथा फीस का निर्धारण जो कि पंचायतों द्वारा आरोपित अथवा विनियोजत किये जा सकते हैं।
(3) राज्य के संचित कोष से पंचायतों को सहायक अनुदान तथा
(4) पंचायतों के सुदृढ़ वित्त हेतु राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग को सौंपा गया कोई अन्य मामला।[12]

उपर्युक्त आयोग का आकार, सदस्यों की संख्या तथा उसके चयन की विधि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है[13] तथापि यह आयोग किस विधि और प्रक्रिया से कार्य करेगा यह उसी आयोग द्वारा स्वयं तय किया जायेगा। अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा जो कि इस प्रतिवेदन की आवश्यक स्पष्टीकरण तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी के साथ राज्य विधान मंडल के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।[14]

अधिक वित्तीय स्रोतों को देने के परिणाम स्वरूप, कठोर, वित्तीय नियंत्रण भी आवश्यक है। ऐसा करने के लिए 73वाँ संशोधन संविधान में अनुच्छेद 243 'जे' जोड़ता हो जो कि राज्य–विधान मंडल को निम्नांकित विधि निर्माण के लिए आदेश देता है।

(a) पंचायत लेखों का अनुरक्षण, तथा
(b) इन लेखों का अंकेक्षण

अपवाद– 73वें संशोधन के प्रावधान निम्नांकित क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश पर लागू होंगे।

(1) संविधान के अनुच्छेद 243 की धारा (1) तथा (2) में वर्णित अनुसूचित क्षेंत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों पर जब तक कि संसद विधि के द्वारा 73वें संशोधन के प्रावधानों को अपनी इच्छानुसार अपवादों तथा परिवर्त्तनों के साथ इन क्षेत्रों पर लागू न कर दे।

(2) नागालैंड मेघालय तथा मिजोरम राज्यों में तब तक जब तक कि सम्बन्धित राज्य की विधान सभा इस संदर्भ में कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव न पारित कर दें। परन्तु इन राज्यों के अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों में उपुर्यक्त क्रमांक (1) में वर्णित व्यवस्था ही लागू होगी, अर्थात् 73वें संशोधन के प्रावधान तब तक लागू नहीं होगे जब तक कि संसद इस संदर्भ में कानून न पारित कर दे।

(3) मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जनपद परिषदें मिलती हैं तथा पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जनपद के पर्वतीय क्षेत्र, जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा परिषद पाई जाती है।

उपर्युक्त क्षेत्रों को उनकी अजीब परम्पराओं तथा ऐतिहासिक भिन्नताओं के कारण छोड़ दिया गया है, क्योंकि इन भिन्नताओं के कारण उनके यहाँ भिन्न प्रकार की स्थानीय इकाइयां हैं, जिनका पूराना इतिहास है जिन्हें 73वाँ संशोधन छेड़ना नहीं चाहता।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :

1. सुभाष कश्यप : 'हमारा संविधान' पंचायती राज, पृ0 312
2. कुमार, हरीश खत्री : 'भारत में पंचायती राज', पृ0 125
3. अनुच्छेद 243 सी की धारा (2)
4. अनुच्छेद 243 सी की धारा (5) (ए)
5. अनुच्छेद 243 सी की धारा (5) (बी)
6. अनुच्छेद 243 डी की धारा (2)
7. अनुच्छेद 243 ई की धारा (10)
8. अनुच्छेद 243 (जी)
9. कुमार, हरीश खत्री : 'भारत में पंचायती राज', पृ0 130
10. अनुच्छेद 243 (एच)
11. अनुच्छेद 243 आई की धारा (7)
12. अनुच्छेद 243 आई की धारा (1)
13. अनुच्छेद 243 आई की धारा (1)
14. अनुच्छेद 243 आई की धारा (4)